



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं इंटरमीडिएट महाविद्यालय की प्रस्वीकृति /स्थायी प्रस्वीकृति के शर्तों की पूर्ति से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 31/2020

एतद् द्वारा विज्ञप्ति संख्या-25/2020 एवं 26/2020 के क्रम में झारखण्ड राज्य अवस्थित स्थापना अनुमति प्राप्त वैसे विद्यालय एवं इंटर महाविद्यालय प्रबंधन जिनके द्वारा अपने विद्यालय/इंटर महाविद्यालय की प्रस्वीकृति/स्थायी प्रस्वीकृति अहर्ता पूरी करने से संबंधित पूर्ण प्रतिवेदन अबतक परिषद् में जमा नहीं किया गया है, उन्हें एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए प्रस्वीकृति अभ्यावेदन समर्पित करने की तिथि **दिनांक 15.10.2020** तक विस्तारित की जाती है। वे उक्त तिथि तक निश्चित रूप से ससाक्ष्य प्रतिवेदन परिषद् कार्यालय में समर्पित करें।

उक्त तिथि के पश्चात् प्रतिवेदन अनुपलब्ध रहने की स्थिति में परिषद् द्वारा उनके स्थापना अनुमति रद्द की कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी, जिसके जिम्मेवार वे स्वयं होंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(महीप कुमार सिंह)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/वि.-महा.स्था./1041/20/SECY/295/20

Dt. 03.10.2020

D.O.P. 04.10.2020